



## घोषणा पत्र //(Declaration)

आई.एस.बी.टी. आवासीय योजना/आई.एस.बी.टी. एक्सटेंशन, देहरादून।

मैं/हम..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

निवासी-.....

निम्नलिखित घोषणा करता /करती /करते /हूँ, हैं।

1. यह कि मेरे/हमारे द्वारा "पहले आओ पहले पाओ" पद्धति के अर्न्तगत आई.एस.बी.टी. आवासीय योजना/आई.एस.बी.टी. एक्सटेंशन योजना में अपना पंजीकरण एच.आई.जी. टाईप-ए /टाईप-बी/एम.आई.जी. श्रेणी में कराया गया है।
2. मेरी/हमारी वार्षिक आय वर्ष 2015-16 में रू० ..... हैं।
3. मेरी/हमारी आय दिनांक ..... को ..... एवं ..... वर्ष है एवं मैं/हम भारत का/की/के नागरिक हैं।
4. मैंने/हमने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की योजना से सम्बन्धित नियमों एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ व समझ लिया है एवं मैं/हम उनका पालन करने हेतु वचनबद्ध हूँ/हैं।
5. यह कि योजना में लैट के आवंटन उपरान्त मेरे/हमारे द्वारा आरक्षण प्रमाण पत्र द्वायदि आरक्षण कोटे में आवेदन किया है, पैन कार्ड की प्रति, वर्तमान पता, पहचान पत्र, एवं अपने बैंक खाते का केन्सिल चैक प्राधिकरण कार्यालय में तत्काल जमा करवा दूंगा /दूंगी। जमा न करने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा आवंटन करते हुए जो कटौतियों की जायेगी वह मुझे/हमें स्वीकार होंगी।
6. भूमि अर्जन में न्यायालय के आदेश द्वारा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि आवंटित लैट के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं /हम प्राधिकरण के आदेशों/नियमों के अनुसार पालन करूंगा/करूंगी/करेंगे।
7. मैं/हम समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे। यदि मेरे/हमारे द्वारा कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण नियमानुसार मेरा/हमारा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे/हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. यदि मैं/हम लैट का आवंटन स्वीकार नहीं करता /करती हूँ/करते हैं अथवा आवंटन निरस्त कर दिया जाता है, तो प्राधिकरण के नियमों के अधीन की गई कटौतियों को मैं/हम स्वीकार करूंगा/करूंगी/करेंगे।
9. आवंटित लैट का निर्माण एवं लैट का निर्माण पूर्ण होने पर प्राधिकरण द्वारा आंकलित विक्रय मूल्य मुझे/हमे स्वीकार होगा तथा मुझे/हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
10. योजना के अर्न्तगत 24 माह की अवधि में अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि लैट तैयार नहीं होते हैं तो इसमें मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी और न ही मैं/हम न्यायालय/उपभोक्ता फोरम में कोई वाद योजित करूंगा/करूंगी/करेंगे।
11. आवंटि द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार /विभिन्न अन्य निकायों से सम्बन्धित देय कब्जे से पूर्व एवं कब्जा उपरान्त निर्धारित प्राविधानों के अनुसार देय सभी करों का भुगतान स्वयं करना होगा।
12. वाद विवाद हेतु देहरादून स्थित न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा। जिसके लिए आवेदक/आवंटी वचनबद्ध होगा।

घोषणाकर्ता (ओं) के हस्ताक्षर

घोषणा:- मैं /हम एतद्वारा घोषणा करता/ करती हूँ/करते हैं कि मेरे /हमारे द्वारा प्रस्तर 1 से 12 तक दी गयी सूचना

मेरे /हमारे पूर्ण ज्ञान व निजी जानकारी में सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

घोषणाकर्ता (ओं) के हस्ताक्षर